भारत सरकार

शिक्षा मंत्रालय

स्कूल शिक्षा और साक्षरता विभाग

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-216

उत्तर देने की तारीख-25/11/2024

मध्याह्न भोजन योजना में पोषण मानक

†216. श्री श्रीभरत मतुकुमिल्लि:

क्या **शिक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार मध्याह्न भोजन योजना के लिए राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची-II में विनिर्दिष्ट पोषण मानकों का अनुपालन सुनिश्चित करती है और यदि हां, तो सरकार द्वारा इन मानकों के अनुपालन की निगरानी के लिए क्या उपाय किए गए हैं;

(ख) प्राथमिक और उच्च प्राथमिक विद्यालय के छात्रों के मध्याह्न भोजन के लिए संशोधित न्यूनतम आवंटित बजट का संशोधन की तिथि सहित ब्यौरा क्या है और बजट आवंटन के निर्धारण में किन-किन कारकों पर विचार किया गया है;

(ग) क्या सरकार औसत खाद्य मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए मध्याह्न भोजन योजना के बजट आबंटन के लिए समय-समय पर संशोधन और सूचकांक बना रही है और यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार पोषण मानकों में एकरूपता सुनिश्चित करने के लिए मध्याह्न भोजन के बजट को मुद्रास्फीति से जोड़ने का है और यदि हां, तो इस संबंध में सरकार की क्या योजनाएं हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

उत्तर

शिक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री

(श्री जयन्त चौधरी)

(क) से (ङ): पीएम पोषण एक केन्द्र प्रायोजित योजना है जिसे राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों के साथ साझेदारी से कार्यान्वित किया जाता है। पात्र बच्चों को पका हुआ और पौष्टिक गर्म भोजन उपलब्ध कराने सहित योजना के सुचारू संचालन की समग्र जिम्मेदारी राज्य सरकारों और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों की है। राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 की अनुसूची II में

निर्दिष्ट पोषण मानकों के संबंध में विस्तृत दिशा-निर्देश जारी किए गए हैं और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को इन दिशानिर्देशों का पालन करने की सलाह दी गई है। कार्यकुशलता और प्रभावशीलता में सुधार लाने के लिए योजना में अन्य बातों के साथ-साथ विस्तृत निगरानी तंत्र अर्थात माननीय केंद्रीय शिक्षा मंत्री की अध्यक्षता में अधिकार प्राप्त समिति, सचिव (डीओएसईएंडएल) की अध्यक्षता में कार्यक्रम अनुमोदन बोर्ड (पीएबी), मुख्य सचिव की अध्यक्षता में राज्य संचालन-सह-निगरानी समिति, लोकसभा के वरिष्ठतम सांसद की अध्यक्षता में जिला स्तरीय समिति, जिला कलेक्टर की अध्यक्षता में जिला स्तरीय संचालन-सह-निगरानी समिति का प्रावधान है। इसके अतिरिक्त राज्यों और संघ राज्य क्षेत्रों को परामर्श दिया गया है कि वे एनएबीएल प्रत्यायित प्रयोगशालाओं के माध्यम से भोजन का परीक्षण कराएं तथा सभी रसोइया-सह-सहायकों (सीसीएच) को प्रशिक्षण दें। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को सभी जिलों में प्रति वर्ष सामाजिक लेखापरीक्षा आयोजित करने की सलाह दी गई है। इसके अतिरिक्त, पोषण विशेषज्ञों से युक्त संयुक्त समीक्षा मिशन (जेआरएम) क्षेत्रीय दौरों के माध्यम से योजना की समीक्षा करते हैं तथा समय-समय पर जमीनी स्तर पर योजना के वास्तविक कार्यान्वयन का आकलन करते हैं। वर्ष 2024-25 के दौरान पीएम पोषण योजना के तहत बजट अनुमान 12,467.39 करोड़ रुपये है। यद्यपि पीएम पोषण एक केन्द्र प्रायोजित योजना है, केन्द्र सरकार परिवहन लागत सहित खाद्यान्न की लागत के लिए 100% सहायता प्रदान करती है। औसत खाद्य मुद्रास्फीति को ध्यान में रखते हुए, योजना के अंतर्गत उपभोक्ता मूल्य सूचकांक-ग्रामीण श्रम (सीपीआई-आरएल) के आधार पर सामग्री लागत को संशोधित किया गया है। सामग्री लागत दिनांक 01.10.2022 को संशोधित की गई। पीएम पोषण योजना के तहत समय-समय पर जारी राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा अधिनियम, 2013 के नियमों, दिशा-निर्देशों और निर्देशों में यह प्रावधान है कि इस योजना के अंतर्गत पात्र संस्थान में पढ़ने वाले प्रत्येक बच्चे को शामिल किया जाना है और उन्हें सभी स्कूल दिवसों में पका हुआ गर्म पौष्टिक भोजन दिया जाएगा या स्कूल के सभी कार्य दिवसों हेतु लागू खाद्य सुरक्षा भत्ता प्रदान किया जाएगा। तदनुसार, राज्य सरकारें और संघ राज्य क्षेत्र प्रशासन व्यापक वार्षिक कार्य योजना और बजट (एडब्ल्यूपीएंडबी) तैयार करते हैं, जिसमें अन्य बातों के साथ-साथ बच्चों, कार्य दिवसों और स्कूलों की कवरेज; स्कूलों में नामांकन; खाद्यान्न की उपयोगिता, खाना पकाने की लागत का उपयोगिता, परिवहन लागत, प्रबंधन, निगरानी और मूल्यांकन (एमएमई), रसोइया-सह-सहायक को मानदेय का भुगतान, रसोई-सह-भंडार का निर्माण, रसोई उपकरणों की खरीद आदि पर विस्तृत जिलावार महत्वपूर्ण जानकारी शामिल होती है। यह धनराशि सभी कार्य दिवसों में स्कूल जाने वाले बच्चों को कवर करने के लिए केंद्रीय सहायता के रूप में जारी की जाती है।

*****